न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु सिंह कुन्तल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 292/2022

राजवीर सिंह दत्तक पुत्र स्व0 सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी मकान नं0 939 मेजर कॉलोनी वार्ड नं0 7 जोबनेर तह0 जोबनेर, जिला जयपुर।

——वादी

बनाम

1. पाबूदान सिंह पुत्र अर्जुन सिंह दरोगा–फौत

   1/1–भगवान सिंह पुत्र पाबूदान सिंह दरोगा फौत के बजाय

   1/1/1–रामा देवी पत्नि भगवान सिंह

   1/1/2–भंवर सिंह पुत्र भगवान सिंह

   1/1/3–राजसिंह पुत्र भगवान सिंह

   1/1/4–भवानी सिंह पुत्र भगवान सिंह

   समस्त जाति दरोगा निवासी 122 सर्किल नंवर 4 न्यू हाउस नं0 348 हथरोइ स्कूल के पास अजमेर रोड जयपुर हाल निवासी सी 44 जमुना नगर सोडाला।

   1/1/5–रेखा कंवर पत्नि सत्यनारायण पुत्री भगवान सिंह दरोगा निवासी ए–16 न्यू कॉलोनी भोम्या जी का मंदिर मुरलीपुरा सीकर रोड जयपुर।

   1/1/6–सुमन कंवर पत्नि बसन्ती गोयल पुत्री भगवान सिंह जाति दरोगा निवासी 46 हथरोइ वावडी अजमेर रोड जयपुर राज0

2. सुरजभान सिंह पुत्र पावूदान सिंह जाति दरोगा निवासी म0नं0 122 हथरोई स्कूल के पास अजमेर रोड जयपुर।

3. नन्दकिशोर पुत्र पावूदान सिंह जाति दरोगा निवासी म0नं0 122 हथरोई स्कूल के पास अजमेर रोड जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

4. शांति देवी बेवा पाबूदान सिंह जाति दरोगा निवासी म0नं0 122 हथरोई स्कूल के पास अजमेर रोड जयपुर हाल निवासी सी–44 जमुना नगर सोडाला जयपुर
5. तहसीलदार जोबनेर
6. उप पंजियक अधिकारी जोबनेर।

––प्रतिवादीगण

उपस्थितिः– 1. श्री लोकेश शर्मा, विद्वान अधिवक्ता, वादी।

(वाद इस्तकरार हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा)

निर्णय दिनांकः– 14.06.2024

वादी द्वारा वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि खतोनी संख्या 100 की आराजी खसरा नं0 1884 रकबा 91 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं0 1884/2261 रकबा 18 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं0 1885 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नं0 1890 रकबा 100 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं0 1891 रकबा 40 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं0 1921 रकबा 139 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं0 1922 रकबा 4 बिस्वा कुल किता 7 का कुल रकबा 389 बीघा 18 बिस्वा वाकै ग्राम अगरपुरा तहसील जोबनेर में स्थित है। जिसमें लाल सिंह, रणजीत सिंह का सुमेर सिहं वारिस होने के कारण 2/7 हिस्सा आया था, जिसमें सुमेर सिंह अपेन बुजुर्गों के समय से काश्तकारी अधिनियम प्रभावशील होने के पूर्व से वह काश्तकार फसल का उपयोग–उपभोग करते आ रहा था। सुमेर सिंह के कोइ जाइंदा औलाद ना होने के कारण उन्होने वादी को माघ सुदी 5 संवत् 3037 को उनके प्राकृतिक माता पिता ठाकुर नारायण सिंह जी की सहमति से भाईयों की मौजूदगी में धर्म शास्त्र एवं विरादरी के रिवाज अनुसार गोद लिया था। उक्त वर्णित आराजीयात का ठाकुर सुमेर सिंह एवं वादी संयुक्त रूप से 2/7 हिस्से को शांति पूर्वक उपयोग–उपभोग करते आ रहे है। दिनांक 13.01.1983 को ठाकुर सुमेर सिंह जी के स्वर्गवास पश्चात एवं वादी की दत्तक माता कमल कुमारी जी के स्वर्गवास के

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

पश्चात आजतक शांति पूर्वक 2/7 हिस्से का उपयोग-उपभोग करता आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की नानी श्रीमती पार्वती स्वर्गीय सुमेर सिंह की मां की घरू दरोगण (नौकरनी) थी। पार्वती देवी की लडकी शांति देवी सुमेर सिंह जी के परिवार में बहैसियत नौकर काम करती थी। शांति देवी की शादी सुमेर सिंह की मां ने पावूदान सिंह से करवायी। जिनके प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 पुत्र है। पावूदान सिंह पुत्र अर्जुन सिंह का उक्त आराजीयात से कोई संबंध नहीं था। उसने चालाकी से उक्त आराजीयात के 2/7 हिस्से में से 1/7 हिस्से की खातेदारी अपने नाम करवा ली। इस पर वादी के पिता सुमेर सिंह ने पावूदान सिंह को कहा तो पावूदान सिंह ने कहा की कब्जा काश्त आप का ही है। आप जब भी चाहो उक्त आराजीयात को अपने नाम करवा लेना। वादी के पिता सुमेर सिंह एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता एवं 4 के पति पावूदान सिंह का भी स्वर्गवास हो गया। तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व प्रतिवादी संख्या 4 ने वादी को विश्वास दिलाया की जब चाहो तब जमीन को अपने नाम करवा लेना। दिनांक 25.08.2012 को विवादीत जमीन पर खरीद फरोक्त करने वालों को लाकर जमीन का सौदा करने लगे। इसलिए वादी को वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। खसरा नंबरान 1884, 1884/2261, 1885, 1890, 1891, 1921, 1922 कुल किता 7 कुल रकबा 389 बीघा 18 बिस्वा में पावूदान सिंह पुत्र अर्जुन सिंह के नाम दर्ज 1/7 हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एवं पावूदान सिंह पुत्र अर्जुन सिंह का नाम हजफ किया जावें। विवादीत आराजीयात में पावूदान सिंह पुत्र अर्जुन सिंह के नाम दर्ज 1/7 हिस्से का नामान्तरण नहीं खुलवाये न किसी प्रकार से रहन, बैय, मुन्तकिल करावे, न वादी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में दखल अंदाजी करने की चेष्ठा करें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को जरिये रजि0 एडी0 एवं शेष की तहसील के माध्यम से तलवी करायी गयी। प्रतिवादी संख्या 5 एवं 6 वावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 1 के फौत होने पर

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर, जयपुर

प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम को तलब किया गया। कायम मुकाम संख्या 2, 3, 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। शेष प्रतिवादीगण की तलबी जरिये अखबार साया करायी गयी। प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं आने पर इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। श्रीमती सायर देवी व श्रीमती रामधुनी द्वारा जरिये मुख्तयारनामा आम सीताराम जाट द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 पेश किया गया। दिनांक 17.05.2024 को उक्त प्रार्थी सीताराम एवं उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 की बहस एक पक्षीय सुनी गयी। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में पावूदान सिंह के सजरा खानदान का उल्लेख नहीं किया गया। न ही पावूदान के वारिस बावत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुख्तयारनामा आम की मूल प्रति भी न्यायालय में पेश नहीं किये जाने के कारण प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 खारिज कर दिया गया।

साक्ष्य वादी एकपक्षीय पेश की गयी। जिसमें पीडब्ल्यू 1 स्वयं वादी राजवीर सिंह, पीडब्ल्यू 2 सुरेन्द्र सिंह, पीडब्ल्यू 3 रघुवीर सिंह के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये जाकर साक्ष्य करवायी गयी। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में दस्तावेज पेश किये। जिनमें जमावंदी संवत् 2067–2070 प्रदर्श 1, जमावंदी खतोनी वन्दोवस्त संवत् 2011 से 2029 प्रदर्श, जमावंदी भूमि एकीकरण संवत् 2019 प्रदर्श 3, वाद संख्या 2/1994 उनवानी भगवान सिंह वनाम राजवीर सिंह न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, सांभरलेक में प्रस्तुत राजीनामा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 4 है। उक्त वाद में राजीनामा प्रस्तुत किये जाने बावत् प्रार्थना पत्र प्रदर्श 5 है। मेरे द्वारा तहसीलदार फुलेरा को शिकमी काश्तकार दर्ज कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसके संबंध में नायव तहसीलदार फुलेरा का निर्णय दिनांक 15.05.1985 की फोटो प्रति पेश की है। कृपक रजिस्टर संवत् 2041 की फोटो प्रति पेश की है। जिसमें विवादीत आराजी पर मेरा कब्जा–काश्त दर्शाया है। पावूदान सिंह द्वारा वाद बावत् विभाजन हेतु

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक में पेश किया, जो दिनांक 17.08.1988 को खारिज हुआ। जिसकी आदेशिका की फोटो प्रति पेश की। मुकदमा नंवर 19/1986 उनवानी भंवर सिंह बनाम राजवीर सिंह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक में निर्णय दिनांक 12.06.1995 की फोटो प्रति पेश की। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर अपील संख्या 58/1995 उनवानी पावूदान सिंह बनाम सुरेन्द्र सिंह में पारित निर्णय दिनांक 27.09.1996 की फोटो प्रति पेश की। नामान्तकरण संख्या 64 व 916 की फोटो प्रति पेश की। लगान की रसिदें किता 9 फोटो प्रति पेश की। मिलान क्षेत्रफल की फॉटोप्रति पेश की।

बहस अधिवक्ता वादी एकपक्षीय सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता वादी द्वारा निवेदन किया गया कि खतोनी संख्या 100 की आराजी खसरा नं0 1884 रकबा 91 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं0 1884/2261 रकबा 18 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं0 1885 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नं0 1890 रकबा 100 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं0 1891 रकबा 40 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं0 1921 रकबा 139 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं0 1922 रकबा 4 बिस्वा कुल किता 7 का कुल रकबा 389 बीघा 18 बिस्वा वाकै ग्राम अगरपुरा तहसील जोबनेर में स्थित है। जिसमें लाल सिंह, रणजीत सिंह का सुमेर सिहं वारिस होने के कारण 2/7 हिस्सा आया था, जिसमें सुमेर सिंह अपेन बुजुर्गों के समय से काश्तकारी अधिनियम प्रभावशील होने के पूर्व से वह काश्तकार फसल का उपयोग–उपभोग करते आ रहा था। सुमेर सिंह के कोइ जाइंदा औलाद ना होने के कारण उन्होने वादी को माघ सुदी 5 संवत् 3037 को उनके प्राकृतिक माता पिता ठाकुर नारायण सिंह जी की सहमति से भाईयों की मौजूदगी में धर्म शास्त्र एवं बिरादरी के रिवाज अनुसार गोद लिया था। उक्त वर्णित आराजीयात का ठाकुर सुमेर सिंह एवं वादी संयुक्त रूप से 2/7 हिस्से को शांति पूर्वक उपयोग–उपभोग करते आ रहे है। दिनांक 13.01.1983 को ठाकुर सुमेर सिंह जी के स्वर्गवास पश्चात एवं वादी की दत्तक माता कमल कुमारी जी के स्वर्गवास के पश्चात आजतक शांति पूर्वक 2/7 हिस्से का उपयोग–उपभोग करता आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

नानी श्रीमती पार्वती स्वर्गीय सुमेर सिंह की मां की घरू दरोगण (नौकरनी) थी। पार्वती देवी की लडकी शांति देवी सुमेर सिंह जी के परिवार में वहैसियत नौकर काम करती थी। शांति देवी की शादी सुमेर सिंह की मां ने पावूदान सिंह से करवायी। जिनके प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 पुत्र है। पावूदान सिंह पुत्र अर्जुन सिंह का उक्त आराजीयात से कोई संवंध नहीं था। उसने चालाकी से उक्त आराजीयात के 2/7 हिस्से में से 1/7 हिस्से की खातेदारी अपने नाम करवा ली। इस पर वादी के पिता सुमेर सिंह ने पावूदान सिंह को कहा तो पावूदान सिंह ने कहा की कब्जा काश्त आप का ही है। आप जव भी चाहो उक्त आराजीयात को अपने नाम करवा लेना। परन्तु पावूदान सिंह के फौत होने के पश्तचा उनके वारिसान द्वारा वादी के हक में करवाने से इन्कार कर दिया। वादी द्वारा अपने साक्ष्य में मुख्य परीक्षा में कथन किया कि खसरा नंवरान 1884, 1884/2261, 1885, 1890, 1891, 1921, 1922 कुल किता 7 कुल रकवा 389 वीघा 18 विस्वा में मेरा 2/7 हिस्सा है जिस पर में काविज काश्त हूँ। प्रतिवादी गण का विवादित आराजी से कोई संवंध सरोकार नहीं है ना ही इनका कभी कब्जा काश्त रहा। विवादित आराजी में 1/7 हिस्से की खातेदारी पावुदान सिंह पुत्र अर्जुन सिंह के नाम गलत रुप से दर्ज हो गई। पावुदान सिंह पुत्र अर्जुन सिंह के नाम खसरा नम्वर 871 रकवा 42 वीघा की खातेदारी दर्ज हुई जव की खसरा नं. 871 के साविक खसरा नं. 2430/1 रकवा 42 वीघा था जो मेरे दत्तक पिता सुमेर सिंह जी की खातेदारी में रहा है। एकीकरण विभाग को किसी के खातेदारी अधिकार समाप्त करने या उस जमीन पर खातेदार वनाने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त आराजीयात पावुदान सिंह के नाम गलत दर्ज हुई तथा पावुदान सिंह की मृत्यु के पश्चात उसके वारीसान के नाम भी विवादित आराजी में 1/7 हिस्से कि खातेदारी गलत रुप से दर्ज है विवादित आराजी पर मेरा ही कब्जा काश्त है। पीडब्ल्यू 2 सुरेन्द्र सिंह द्वारा अपने वयानों की मुख्य परीक्षा मे कथन किया कि मैं विवादित आराजी में सहखातेदार हूं विवादित आराजी के 2/7 हिस्से पर वादी राजवीर सिंह ही काविज रहकर काश्त करता

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

आ रहा है। प्रतिवादी पाबुदान सिंह पुत्र अर्जुन सिंह का तथा उनके वारीसान का विवादित आराजी से कभी कोई संबंध व सरोकार नही रहा ना ही विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त रहा, विवादित आराजी में प्रतिवादीगण के नाम जो 1/7 हिस्से की खातेदारी गलत दर्ज हो रखी है जिसे दुरूस्त किया जाकर वादी के नाम किया जाना न्यायोचित है। पीडब्ल्यू 3 रघुवीर सिंह द्वारा अपने बयानों की मुख्य परीक्षा मे कथन किया कि मैं विवादित आराजी में सहखातेदार हू विवादित आराजी के 2/7 हिस्से पर वादी राजवीर सिंह ही काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है। प्रतिवादी पाबुदान सिंह पुत्र अर्जुन सिंह का तथा उनके वारीसान का विवादित आराजी से कभी कोई संबंध व सरोकार नही रहा ना ही विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त रहा, विवादित आराजी में प्रतिवादीगण के नाम जो 1/7 हिस्से की खातेदारी गलत दर्ज हो रखी है जिसे दुरूस्त किया जाकर वादी के नाम किया जाना न्यायोचित है। वकील वादी ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRT 2004 (1) पेज नं. 96 व RRT 2023 (1) पेज सं. 46 पेश किये।

अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं प्रस्तुत तर्कों का तथा पत्रावली का समग्रता से अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र के मद संख्या 1 में अंकित किया है कि सुमेर सिंह का 2/7 हिस्सा का एवं वादी को वादी के प्राकृतिक पिता नारायण सिंह की सहमति से धर्म, शास्त्र और विरादरी के रिति रिवाज अनुसार गोद लिया। सुमरे सिंह के स्वर्गवास के पश्चात एवं दत्तक माता कमल कुमारी के स्वर्गवास के पश्चात वादी 2/7 हिस्से का शांति पूर्वक उपयोग–उपभोग कर रहा है। वादी द्वारा इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रर्दश 2 भू–प्रवन्धन विभाग खतोनी बंदोबस्त जमावंदी संवत् 2011 से 2029 पेश की, प्रर्दश 2 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तत्कालीन खसरा नंबर 2430/1 के कॉलम संख्या 5 में खुद काश्त के रूप में दर्ज है। कॉलम संख्या 4 में उक्त भूमि सुमेर सिंह वल्द लाल सिंह कौम राजपूत के नाम दर्ज है। भूमी एकीकरण विभाग राजस्थान की खतोनी जमावंदी प्रर्दश 3 में खसरा नंबर 871 पाबूदान पुत्र अर्जुन सिंह के नाम दर्ज है, जो प्रर्दश 3 है। पाबूदान सिंह के वारिस भगवान सिंह वगै0 एवं वादी राजवीर सिंह के मध्य वाद संख्या 2/1994 में वादी एवं

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा दिनांक 26.09.2000 को हुआ था। उक्त राजीनामे में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा सुमेर सिंह की समस्त चल अचल सम्पति जिसमें खसरा नंबर 1884, 1885, 1890, 1884/2261, 1921, 1922, 1891 में अपना 1/7 हिस्सा प्रतिवादी राजवीर दत्तक पुत्र सुमेर सिंह के हिस्से में स्वीकार कर लिया था। संवत् 2011से 2029 जमाबंदी में प्रतिवादीगण का नाम नहीं है। परन्तु संवत् 2019 की जमाबंदी में प्रतिवादीगण का नाम एवरेटली है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान की खण्डपीठ ने 1995 आर0आर0डी0 पेज 316 में यह माना है कि एवरेटली नाम आने से किसी को विवादग्रस्त जमीन में खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते। अधिवक्ता वादी का यह तर्क भी मानने योग्य है कि एकीकरण विभाग को किसी के खातेदारी अधिकार समाप्त करने या उस जमीन पर खातेदार बनाने का कोई अधिकार नहीं है। इस वात का समर्थन 1975 आर.आर.डी. पेज 228 करती है। रिकार्ड तथा वहस यह भी प्रतीत होता है कि पावूदान सिंह वादी के परिवार का सदस्य नहीं है, क्योंकि पावूदान सिंह वादी के खानदान या परिवार का सदस्य नहीं है, अतः साधारणतः यही माना जायेगा की विवादीत भूमि वादी, जो कि सुमेर सिंह का दत्तक पुत्र है को ही प्राप्त होगी। संवत् 2019 में एकदम से प्रतिवादी पावूदान सिंह का नाम राजस्व रिकार्ड में इस प्रकार से आ गया यह संदेह उत्पन्न करता है। राजस्व रिकार्ड में बिना किसी आधार के एबरेटली प्रतिवादी पावूदान का नाम आ जाने से पावूदान सिंह को सह कृषक मानना उचित नहीं है। नायव तहसीलदार फुलेरा के आदेश दिनांक 15.05.1985 का अवलोकन किया गया। उक्त निर्णय में भी पावूदान सिंह का विवादीत भूमि पर कोई कब्जा नहीं वताया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रर्दश 4 के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा वादी के विरूद्ध जो वाद पत्र संख्या 2/1994 पेश किया था, में वादी के पक्ष में राजीनामा किया। उक्त किये गये राजीनामें से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 विवन्धन के सिद्धान्त से पाबंद है। वादी के वादपत्र की ताईद, गवाह पीडब्ल्यू 2

8

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

व पीडब्ल्यू 3 द्वारा भी अपने साक्ष्य में कि गयी है। उपरोक्त गवाह जो कि विवादीत भूमि में सहखातेदार भी है, कि साक्ष्य पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:क्रियात्मकआदेशः—

वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर दावा दायरी दिनांक 05.09.2012 को विवादग्रस्त खतोनी संख्या 100 की आराजी खसरा नं0 1884 रकबा 91 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं0 1884/2261 रकबा 18 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं0 1885 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नं0 1890 रकबा 100 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं0 1891 रकबा 40 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं0 1921 रकबा 139 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं0 1922 रकबा 4 बिस्वा कुल किता 7 का कुल रकबा 389 बीघा 18 बिस्वा वाकै ग्राम अगरपुरा तहसील जोबनेर में प्रतिवादी पाबूदान सिंह के नाम दर्ज 1/7 हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। दावा दायरी के पश्चात पाबूदान सिंह के 1/7 हिस्से में राजस्व रिकार्ड में यदि कोई परिवर्तन हुआ है, तो ऐसा परिवर्तन शून्य समझा जावेगा। तहसीलदार, जोबनेर को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 05.09.2012 को पाबूदान सिंह पुत्र अर्जुन सिंह के नाम दर्ज 1/7 हिस्से की भूमि में यदि कोई परिवर्तन हुआ है, तो परिवर्तन को शून्य मानते हुये पाबूदान सिंह पुत्र अर्जुन सिंह के 1/7 हिस्से की खातेदारी वादी राजवीर सिंह दत्तक पुत्र सुमेर सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की जावे।

निर्णय आज दिनांक 4.06.2024 को टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिषेक सिंह शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर (ग्रामीण)